भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2549 का उत्तर

बसई से पुणे और दिवा तक नई रेलवे लाइन

2549. श्री आलोक शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई मंडल के अंतर्गत वसई और पुणे तथा दिवा से नई रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) उक्त कार्य को समय पर पूरा करने में आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): वसई-दिवा-पुणे पहले से ही एक मौजूदा दोहरी बड़ी लाइन खंड है। नायगांव और जूचंद्र (6 कि.मी.) के बीच वसई कोर्ड लाइन (दोहरी लाइन) का निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, मुंबई और आस-पास के इलाकों में संकुलन को कम करने और यात्रियों की भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए 8,087 करोड़ रुपए की लागत पर मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-II, 10,947 करोड़ रुपए की लागत पर एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपए की लागत पर एमयूटीपी-IIIक को स्वीकृत किया गया है। मुंबई और आस-पास के क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	सीएसएमटी-कुर्ला पांचवीं और छठी लाइन (एमयूटीपी-II) (17.5 कि.मी.)	891
2	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली छठी लाइन (एमयूटीपी-II) (30 कि.मी.)	919
3	गोरेगांव से बोरीवली तक हार्बर लाइन का विस्तार (एमयूटीपी-IIIक) (7 कि.मी.)	826
4	बोरीवली-विरार पांचवीं और छठी लाइन (एमयूटीपी-IIIक) (26 कि.मी.)	2,184
5	विरार-दहाणु रोड तीसरी और चौथी लाइन (एमयूटीपी-III) (64 कि.मी.)	3,587
6	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (एमयूटीपी-III) (30 कि.मी.)	2,782
7	ऐरोली-कलवा (एलिवेटेड) उपनगरीय गलियारा लिंक (एमयूटीपी-III) (4 कि.मी.)	476
8	कल्याण-आसनगांव चौथी लाइन (एमयूटीपी-IIIक) (32 कि.मी.)	1,759
9	कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी लाइन (एमयूटीपी-IIIक) (14 कि.मी.)	1,510
10	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन (67 कि.मी.)	792
11	निलजे-कोपर दोहरी कोर्ड लाइन (5 कि.मी.)	338
12	नायगांव-जूचंद्र दोहरी कोर्ड लाइन (6 कि.मी)	176
	कुल	16,240

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

*****